एम. श्रीकांत

विरूद्ध

तेलंगाना राज्य व अन्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1586)

21 अक्टूबर, 2019

[न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा एवं न्यायमूर्ति बी. आर. गवई.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 482 - के अधीन अधिकारिता का प्रयोग। प्रत्यर्थी क्रमांक 2 - शिकायतकर्ता ने उसके भाई अभियुक्त क्रमांक 1 को सम्मिलित करते हुए नौ लोगों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई - शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके पिता वादग्रस्त संपत्ति के मालिक थे और उनकी मृत्यु के बाद, संपत्ति उसे, उसकी तीन बहनों आैर अभियुक्त क्रमांक 1 को विरासतन हक में मिली थी - शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके पिता ने एक निर्माण कंपनी के साथ एक विकास समझौता किया था जिसने अभियुक्त क्रमांक 3 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी के पक्ष में अधिकार सौंपे जिसने उसके पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि में अतिक्रमण करने की कोशिश की - शिकायत दर्ज की गई - शिकायतकर्ता और उसकी बहनों द्वारा विभिन्न अन्य शिकायतें, अभियुक्तगण के विरूद्ध दायर मुकदमे में की गयीं - शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त क्रमांक 1 मनगढ़ंत दस्तावेज, वसीयत - एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए - अभियुक्त क्रमांक 4 की आपराधिक याचिका (जिसमें कथित तौर पर अभियुक्त क्रमांक 1 ने अभियुक्त क्रमांक 5 के पक्ष में भूमि को उप-पट्टे में देने की अनुमति दी है।) अंतर्गत धारा 482 खारिज - यह कि अभियुक्त क्रमांक 5 से 9 के संबंध में स्वीकार - अभिनिर्धारित किया गया: शिकायत से शिकायतकर्ता, उसकी बहनों और अभियुक्त क्रमांक 1 के बीच विरासतन के आधार पर विवादित संपत्ति के दावे का पता चलता है। शिकायत में इस संबंध में कोई तथ्य उल्लेखित नहीं हैं कि अभियुक्त क्रमांक 4 को इस तथ्य की पूरी जानकारी थी कि अभियुक्त क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि का उत्तराधिकारी के रूप में एकमात्र लाभार्थी नहीं था और शिकायतकर्ता और उसकी बहनों को संपत्ति को हस्तांतरित कर दिया गया था - यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि यह जानते हुए उसने अभियुक्त क्रमांक 1, मनगढ़ंत वसीयत बनाकर साजिश के तरीके के संबंध में कोई सुझाव नहीं, जैसा कि आरोप लगाया गया है - शिकायत से ही पता चलता है कि शिकायतकर्ता और आरोपी क्रमांक 3 स्वयं प्रवेश किया विकास समझौता जो उनके जीवनकाल में रद्द कर दिया गया था उठाए गए मुद्दे विरासत के संबंध में एक दीवानी मामले को दर्शाते हैं कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच - विरासत के संबंध में विवाद का निर्णय आपराधिक कार्यवाही में नहीं लिया जा सकता - ऐसा केवल एक उपयुक्त दीवानी कार्यवाही में ही किया जा सकता है - उस संबंध में दीवानी कार्यवाही पहले से ही शिकायतकर्ता सहित विभिन्न पक्षों द्वारा शुरू की गई है - इसके अलावा, एकल न्यायाधीश ने सही पाया कि अभियुक्त क्रमांक 5-9 के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। अभियुक्त क्रमांक 4 का मामला भजन लाल मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई श्रेणियों (1) और (3) द्वारा संरक्षित किया गया है - इसके अलावा,

भले ही आरोपों को अंकित मूल्य पर लिया जाए, उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं है- निरस्त दंड संहिता, 1860

धारा 120 - बी, 380,420,448।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि - 1.1 शिकायत से एक विवादित संपत्ति के दावे का पता चलता है शिकायतकर्ता, उसकी बहनों और उसके भाई के बीच विरासत के आधार पर, आरोपी नंबर 1। शिकायतकर्ता संपत्ति के क्षेत्र के संबंध में भी विवाद करती है, जिसमें शिकायतकर्ता के माता-पिता पर इसके हस्तांतरण का तरीका और उसके भाई-बहनों के साथ उसके प्रतिस्पर्धी हित शामिल हैं। एक फुसफुसाहट भी नहीं है शिकायत कि वर्तमान अपीलार्थी, अर्थात अभियुक्त सं. 4, पूरी तरह से अवगत था कि अभियुक्त सं. 1 विरासत से एकमात्र लाभार्थी नहीं था और यह कि संपत्ति शिकायतकर्ता और उसकी बहनों को हस्तांतरित कर दी गई थी। इसके अलावा यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि यह जानते हुए उन्होंने सामूहिक रूप से पट्टा समझौता किया है। अभियुक्त संख्या 1 के साथ, एक झूठी और मनगढ़ंत वसीयत बनाकर। हालाँकि, साजिश के संबंध में एक उल्लेख है, लेकिन इस तरह की साजिश के तरीके के संबंध में कोई सुझाव भी नहीं है। शिकायतकर्ता और आरोपी नंबर 3 के पिता ने स्वयं एक विकास समझौता किया था जो बाद में हुआ। अपने जीवनकाल के दौरान रद्द कर दिया। इससे यह भी पता चलेगा कि अपीलार्थी के पक्ष में विचाराधीन पट्टा निष्पादित होने के बाद ही शिकायतकर्ता ने इन सभी मुद्दों को उठाया है। उठाए गए मुद्दे प्रतिबिंबित करते हैं कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विरासत के संबंध में एक नागरिक विवाद। यह समझ में नहीं आता है कि इस संबंध में विवाद कैसे होता है वसीयत और पुष्टि विलेख के तहत विरासत का फैसला आपराधिक कार्यवाही में किया जा सकता है। यह केवल एक उपयुक्त दीवानी कार्यवाही में ही किया जा सकता है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता सहित विभिन्न पक्षों द्वारा इस संबंध में दीवानी कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है। हालाँकि शिकायत में शिकायतकर्ता के पास एम. श्रीकांत बनाम था। तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. मैसर्स बंजारा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोपी नंबर 3 और 1999 के ओ. एस. नंबर 1403 के खिलाफ 1996 के ओ. एस. नंबर 1989 के लंबित होने का उल्लेख किया गया है। लिमिटेड, अन्य कार्यवाहियों के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है। अभियुक्त सं. 4 को 2001 के ओ. एस. सं. 506 में केवल 30.10.2009 पर पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है। [पैरा 19-21] [971-E-H; 972-A-B, E-F]

1.2 शिकायतकर्ता द्वारा ओ. एस. नं. 239/2004 पहले ही अन्य बातों के साथ-साथ विभाजन और अलग अधिकार के लिए उसके भाई, अभियुक्त क्रमांक 1 और उसके तीन बहनें, के खिलाफ दायर किया जा चुका है, जिसे लंबित बताया गया है। इस प्रकार, शिकायत में कथित धोखाधड़ी वाले दस्तावेज उक्त मुकदमे में विचार के लिए आते हैं। आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ दीवानी कार्यवाही में विरोधाभासी निष्कर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने रिट याचिका संख्या 23017/2009 दायर की थी और जालसाजी और मनगढ़ंत और कथित जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर पट्टा विलेख को निष्पादित करने वाला अभियुक्त सं. 1 केवल के खिलाफ था, उसे अभियुक्त सं. 4 की कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए था। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश को वर्तमान अभियुक्त संख्या 4 पर वही मापदंड लागू करने चाहिए

थे, जो अन्य अभियुक्तों पर लागू किए गए थे जिनके आवेदनों की अनुमति दी गई थी। न्यायाधीश ने सही पाया कि अभियुक्त संख्या 5 एच. पी. सी. एल. और उसके अधिकारियों अभियुक्त संख्या 6 और 9 के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। में [2019] 13 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर अभियुक्त संख्या 7 और 8 भी केवल इसलिए आरोप लगाया क्योंकि वे प्रमाणित करने वाले गवाह थे। जिन्हें शामिल किया गया है, एकल न्यायाधीश ने Cr.P.C की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का सही उपयोग किया। अभियुक्त संख्या 4 का मामला भजन लाल के मामले में इस न्यायालय द्वारा बनाई गई श्रेणियों (1) और (3) द्वारा कवर किया गया है। भले ही शिकायत में लगाए गए आरोपों को अंकित मूल्य पर लिया जाए, लेकिन अभियुक्त संख्या 4 के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं है। अभियुक्त संख्या 4 के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा। इस प्रकार, उनकी अपील को अनुमति दी जानी चाहिए। अभियुक्त सं. 4 द्वारा दायर आपराधिक अपील की अनुमति है। पी. एस., केंद्रीय अपराध स्टेशन, हैदराबाद के अपराध संख्या 311/2010 में अभियुक्त संख्या 4 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। मूल द्वारा दायर आपराधिक अपीलें शिकायतकर्ता को खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 22-28] [972-F-H; 973-E-G; 974 C-H; 975-A]

हरियाणा राज्य एवं अन्य विरूद्ध भजन लाल एवं अन्य

(1992) सपली 1 एस. सी. सी. 335 [1990] 3 उपरोक्त एससीआर 259 पर भरोसा किया।

सरदूल सिंह विरूद्ध नसीब कौर (1987) उपरोक्त एस. सी. सी. 146 - संदर्भित किया गया।

संदर्भित मामले

[1990] 3 सपली एससीआर 259 पैरा 15

(1987) सपली एस. सी. सी. 146 पैरा 22 संदर्भित किया गया है आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील क्रमांक 1586/ 2019 से उद्भूत

उच्च न्यायालय के दिनांकित निर्णय और आदेश से दिनांक 01.06.2017 सी.आर.एल. क्रमांक 6609/ 2013 में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद उच्च न्यायाालय के साथ आपराधिक अपील क्मंक 1587-1588/2019।

उपस्थित दलों के लिए अधिवक्ता - के. एम. नटराज, एएसजी, डी. रामकृष्ण रेड्डी, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, शकील अहमद सैयद, उज्मी जमील हुसैन, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, भरत गंगाधरन, कौसर हुसैन, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री स्वाति भारद्वाज।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई द्वारा निर्णय दिया गया।

1. दोनों विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में अनुमति दी गई।

2. उक्त दोनों अपीलें उच्च न्यायालय हैदराबाद तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2017 के संबंध में स्वीकार की गयी है।

3. एस. एल. पी. से उत्पन्न आपराधिक अपील (क्रिआरएल क्रमांक 9156/2017) मूल अभियुक्त क्रमांक 4, एम. श्रीकांत द्वारा दायर, चुनौती देता है कि उस आदेश का हिस्सा जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने Cr.P.C की धारा 482 के तहत उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। पी. एस. के अपराध सं. 311/2010, केंद्रीय अपराध स्टेशन, हैदराबाद में कार्यवाही। एस. एल. पी. से उत्पन्न आपराधिक अपीलें। (सीआरएल) नं. 9160-9161 मूल शिकायतकर्ता चुनौती के संदर्भ में 2017 का आदेश का वह भाग जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभियुक्त क्रमांक 5 , 6 , 7 , 8 और 9 की शिकायत को रद्द कर दिया है।

4. वर्तमान अपीलों में उत्पन्न तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गत: इसमें अन्य पक्षों को संदर्भित किया गया है क्योंकि वे मूल शिकायत में शामिल हैं। प्रत्यर्थी संख्या 2 फातिमा हसना, आपराधिक अपील में एस. एल. पी. सीआरएल सं. 9156/ 2017 से उद्भूत (आगामी प्रक्रम पर "शिकायतकर्ता" के रूप में संदर्भित), अभियुक्त क्रमांक 1, अकरमुद्दीन हसन की बहन है। शिकायतकर्ता ने अभियुक्त क्रमांक 1 सहित अन्य नौ लोगों के विरूद्ध एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी। संक्षेप में उक्त शिकायत में यह आरोप है कि नारायणगुडा, हैदराबाद में नं. 3-5-1102 वाला घर, मूल रूप से शिकायतकर्ता के पिता अफजालुद्दीन हसन का था, जिनकी मृत्यु दिनांक 28.05.1996 को हुई थी। उनकी माँ खैरुन्निसा बेगम साहेबा की मृत्यु के बाद भी अफजालुद्दीन हसन मौखिक दान दिनांक 12.12.1966 के आधार पर उक्त भूमि पर आधिपत्य था जिसकी पुष्टि उक्त मौखिक दान के विलेख के आधार पर होती है। शिकायतकर्ता का मामला यह था कि उसके पिता, अफजालुद्दीन हसन की मृत्यु के बाद, उक्त संपत्ति उसके साथ-साथ उसकी तीन बहनों और अभियुक्त क्रमांक 1, उसके भाई को विरासत में मिली थी। शिकायत में आगे यह कहा गया है कि उसके पिता ने एक विकास समझौता दिनांक 25.05.1989 मेसर्स बंजारा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया था, हालाँकि, उनके जीवनकाल के दौरान इसे रद्द कर दिया गया था।

यह उनके द्वारा आगे व्यक्त किया गया है कि, उसके पिता की मृत्यु के बाद, अभियुक्त क्रमांक 3 आबिद रसूल खान ने संपत्ति में अतिक्रमण करने की कोशिश की और उसके लिए उसकी शिकायत पर, अपराध संख्या 159/1996 को दिनांक 14.06.1996 पर आईपीसी की धारा 448 और 380 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया।

5. उनके द्वारा आगे यह कहा गया है कि, उसके बाद, उन्हें एक दस्तावेज़ के अस्तित्व के बारे में पता चला जिससे मेसर्स बंजारा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. मेसर्स द्वारा एन. आर. आई. हाउसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अधिकार सौंपे गए। जिसका अभियुक्त क्रमांक 3 आबिद रसूल खान के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया गया। उक्त घटना के लिए अपराध सं. 177/1996 के माध्यम से सात व्यक्तियों जिसमें मेसर्स बंजारा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आैर अभियुक्त क्रमांक 3 आबिद रसूल खान भी शामिल है, के विरूद् आई.पी.सी. की धारा 120-बी के साथ सहपठित धारा 418 और 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक और शिकायत दर्ज की गई। कार्रवाई के उक्त कारण के संबंध में, शिकायतकर्ता ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अभियुक्त क्रमांक 3 और अन्य के खिलाफ मूल मुकदमा

संख्या 1989/1996 भी दायर किया था। शिकायतकर्ता की बहनों ने मेसर्स बंजारा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ओ.एस.नं. 1403/1999 दायर किया था, जिसमें अभियुक्त क्रमांक 3 आबिद रसूल खान प्रबंध निदेशक थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, उक्त मूल मुकदमों में कुछ अंतरिम आदेश भी पारित किए गए थे।

6. शिकायत में शिकायतकर्ता का मामला यह है कि उसके भाई ने अभियुक्त क्रमांक 1, अकरमुद्दीन हसन, जिसने गलत तरीके से उर्दू में एक वसीयत बनायी थी जिसमें उनकी पैतृक दादी, खैरुन्निसा बेगम साहेबा द्वारा उनके माता-पिता अफजालुद्दीन हसन और लियाकातुन्निसा बेगम के पक्ष में उनके जीवनकाल के लिए निष्पादित किया जाना था और उसके पश्चात अभियुक्त क्रमांक 1 के पक्ष में निहित था। शिकायतकर्ता का मामला यह है कि उक्त वसीयत पंजीकृत है और कहा जाता है कि इसे दिनांक 02.04.1950 पर निष्पादित किया गया है। इसके अलावा, यह मामला है कि अभियुक्त क्रमांक 1 ने एक और जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज़ बनाया था जिसे पुष्टिकरण विलेख (हिबा बिल मुशा) दिनांकित 08.03.1990 के रूप में शैलीबद्ध किया गया था, जिसे संपत्ति मौखिक रूप से अभियुक्त क्रमांक 1 को दिनांक 29.08.1989 पर दान में दी गई थी और उसे भौतिक रूप से कब्जा भी सौंप दिया था।

7. शिकायतकर्ता का मामला यह है, कि अभियुक्त क्रमांक 1 ने खुद को परिसर का मालिक बताते हुए, उक्त आधार पर कथित मौखिक वसीयत और पुष्टिकरण विलेख ने दिनांक 01.12.2008 पर एक पंजीकृत पट्टा बनाया, जिसमें दस्तावेज़ संख्या 3107/2008 था, जिसमें अभियुक्त क्रमांक 4 को अभियुक्त क्रमांक 5, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("HPCL") के पक्ष में उक्त भूमि को उप-पट्टा देने की अनुमति दी गई थी। अभियुक्त क्रमांक 6 और अभियुक्त क्रमांक 9 अभियुक्त क्रमांक 5 - एच. पी. सी. एल. के कर्मचारी/अधिकारी हैं जबकि, अभियुक्त क्रमांक 7 और 8 प्रमाणक साक्षी हैं। उक्त शिकायत के आधार पर, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिनांक 24.11.2010 पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्देश दिया।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले भी अभियुक्त क्रमांक 7, खाजा मोहिउद्दीन और अभियुक्त क्रमांक 8, जी. वी. प्रसाद द्वारा विभिन्न आपराधिक याचिकाएं, आपराधिक याचिका सं. 6047/2013 उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। आपराधिक याचिका सं. 6064/2013 अभियुक्त क्रमांक 3, आबिद रसूल खान द्वारा दायर की गई। आपराधिक याचिका सं. 6609/2013 अभियुक्त क्रमांक 4, एम. श्रीकांत द्वारा दायर की गई, जो एसएलपी (सीआरएल) से उत्पन्न आपराधिक अपील नं. 9156/2017 में अपीलार्थी हैं। आपराधिक याचिका सं. 8743/2013 अभियुक्त क्रमांक. 5-एच. पी. सी. एल. और उसके अधिकारियों, अभियुक्त क्रमांक 6, एस. के. स्रुई और अभियुक्त क्रमांक 9, आर. उमापति द्वारा दायर की गई थी। विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त क्रमांक 3 और 4 की याचिका को छोड़कर सभी आवेदकों की आपराधिक याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।

9. अभियुक्त क्रमांक 4, साथ ही मूल शिकायतकर्ता भी अपनी याचिका को खारिज किए जाने से व्यथित होकर, जिसके द्वारा अभियुक्त क्रमांक 5 , 6 , 7 , 8 और 9 को अनुमति दी गई है, उक्त आदेश के विरूद्ध् इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं।

10. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री डी. रामकृष्ण रेड्डी, एम. श्रीकांत और शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शकील अहमद सैयद को सुना है। हमने मूल अभियुक्त क्रमांक 5-एच. पी. सी. एल. और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों अभियुक्त क्रमांक 6 और 9 की ओर से उपस्थित श्री के. एम. नटराज, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को भी सुना है।

11. मूल अभियुक्त क्रमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि शिकायत में उक्त अभियुक्त की एकमात्र भूमिका यह है कि अभियुक्त क्रमांक 1 द्वारा उसके पक्ष में एक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, जिसमें खुद को वादग्रस्त भूमि का पूर्ण मालिक दिखाया गया था। जबकि, संपत्ति का स्वामित्व शिकायतकर्ता और उसकी तीन बहनों के साथ अभियुक्त क्रमांक 1 के पास था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सभी आरोप मनगढ़ंत इसलिए हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि संपत्ति अभियुक्त क्रमांक 1 की है, जो अभियुक्त क्रमांक 1 के खिलाफ हैं। यह व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त क्रमांक 4, पेट्रोल पंप लगाने के लिए अभियुक्त क्रमांक 5-एच. पी. सी. एल. द्वारा जारी विज्ञापन के आधार पर, आवेदन किया था और प्रतियोगिता में सफल होने के बाद अभियुक्त क्रमांक 1 से पट्टे पर भूमि प्राप्त की थी। उन्होंने व्यक्त किया कि उक्त आउटलेट के अनुदान के लिए नियमों और शर्तों के अनुसार, उन्हें भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर प्राप्त करने और अभियुक्त क्रमांक 5-एच. पी. सी. एल. को उप-पट्टे पर देने की आवश्यकता थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहाँ तक कि शिकायत को उसके सामने मान लीजिए, ऐसा कोई कथन नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अभियुक्त क्रमांक 4 की उस दस्तावेज़ के निर्माण में कोई भूमिका थी जिसने अभियुक्त क्रमांक 1 को अधिकार प्रदान किया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता, अभियुक्त कमांक 1 और उनकी बहनों के साथ-साथ अन्य पक्षों के बीच भी विभिन्न दीवानी कार्यवाही लंबित हैं। अभियुक्त क्रमांक 4 का इससे कोई लेना-देना नहीं है।र्क

12. आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, अभियुक्त क्रमांक 4 के मामले को अभियुक्त क्रमांक 5, 6, 7, 8 और 9 के मामले से अलग नहीं किया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया है कि उसी तर्क को लागू करते हुए, जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने लागू किया था, जबकि उक्त अभियुक्त के खिलाफ मामले को रद्द करते हुए वर्तमान अभियुक्त क्रमांक 4 के खिलाफ मामले को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए था। यह व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त क्रमांक 4, अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा।

13. इसके विपरीत, निजी शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शकील अहमद सैयद ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त क्रमांक 4 की याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है। यह व्यक्त किया गया है कि शिकायतकर्ता को संपत्ति के लाभों से वंचित करने के लिए अभियुक्त क्रमांक 4 ने अभियुक्त क्रमांक 1 से अपने पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित कराया था, यह जानते हुए कि अभियुक्त क्रमांक 1 का दावा मनगढ़ंत दस्तावेजों पर आधारित था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने भी आरोपी क्रमांक 5 , 6 , 7 , 8 और 9 की याचिकाओं को स्वीकार करने में गलती की थी। इसलिए, उस आदेश को भी इस हद तक दरकिनार करने की आवश्यकता है कि वह आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देता है।

14. श्री के. एम. नटराज, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त क्रमांक 5, 6 और 9 को उक्त आपराधिक मुकदमे में अनावश्यक रूप से संलिप्त किया गया है। यह व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त क्रमांक 5-एच. पी. सी. एल. एक सार्वजनिक उपक्रम है और अभियुक्त क्रमांक 6 और 9 इसके अधिकारी हैं। यह व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उनके खिलाफ कोई सामग्री नहीं थी और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

15. यह न्यायालय, हरियाणा राज्य और अन्य विरूद्ध् भजन लाल और अन्य, इसके पहले के सभी निर्णयों पर विचार करने के बाद, उन सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही को रद्द करने के लिए Cr.P.C की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। भजन लाल (उपरोक्त) में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा:

(1992) सपली (1) एस.सी.सी. 335

" 102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि यह संभव नहीं हो सकता है कि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित और लचीले दिशानिर्देशों या कठोर सूत्रों को निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप या शिकायत, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाता है, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और एफ. आई. आर. के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, जो संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराती है। सिवाय धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश को या,

(3) जहाँ, एफ़. आई. आर. में शिकायत और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्षय किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) संहिता की धारा 155 (2) के अंतर्गत संज्ञेय अपराध गठित नहीं करता है लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध गठित करता है, एक पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं है जैसा कि नीचे विचार किया गया है।

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप ऐसे हैं बेतुका और स्वाभाविक रूप से असंभव जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहाँ किसी भी मामले में एक स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध लगा हुआ हो। संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के प्रावधानों और कार्यवाहियों को जारी रखना और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, शिकायतों के लिए पीड़ित पार्टी को प्रभावी निवारण प्रदान करना।

(7) जहाँ किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से भाग लिया जाता है दुर्भावनापूर्ण और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रतिशोध लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की गई है और निजी कारणों से उसका विरोध करने की दृष्टि से और व्यक्तिगत द्वेष से अभियुक्त पर की गयी है।

16. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें लिया गया हो, उनका अंकित मूल्य और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं है, उच्च न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने में उचित होगा। इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्षय किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं, अदालत कार्यवाही को रद्द करने में उचित होगी।

17. हम शिकायतकर्ता के मामले की सच्चाई या अन्यथा में जाए बिना उसके अंकित मूल्य पर विचार करें। यह शिकायतकर्ता का मामला यह है कि संपत्ति मूल रूप से उसकी दादी की थी। उनकी मृत्यु के बाद, यह उनके पिता, अफजालुद्दीन हसन को सौंप दिया गया और दिनांक 28.05.1996 पर उनकी मृत्यु के बाद, यह अभियुक्त क्रमांक 1 और उनकी तीन बहनों, करीमा सिद्दीकी, सालेहा अस्मतुन्नीसा और सादिका खैरुन्निसा को सौंप दिया गया। उनके पिता ने एक विकास समझौता मेसर्स बंजारा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया था हालाँकि, उक्त समझौते को उनके जीवनकाल के दौरान रद्द कर दिया गया था। पिता की मृत्यु के बाद दिनांक 28.05.1996 को अभियुक्त क्रमांक 3 ने संपत्ति में अतिक्रमण करने की कोशिश की, जिसके लिए उसकी शिकायत के आधार पर एक अपराध दर्ज किया गया था। उक्त मेसर्स बंजारा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने मेसर्स एनआरआई हाउसिंग कंपनी प्राइवेट के पक्ष में अपने अधिकारों के आवंटन का आरोप लगाते हुए कुछ दस्तावेजों को निष्पादित किया था, जिसमें से अभियुक्त क्रमांक 3, आबिद रसूल खान प्रबंधक निर्देशक था। उसी कार्रवाई के संबंध में, शिकायतकर्ता के कहने पर अपराध सं. 177/1996 दर्ज किया गया था। उक्त लेन-देन के संबंध में, एक शिकायतकर्ता द्वारा और दूसरा उसकी बहनों द्वारा दो मूल मुकदमे पहले ही दायर किए जा चुके थे।

18. शिकायतकर्ता का मामला यह है कि अभियुक्त क्रमांक 1 ने उर्दू में एक वसीयत बनाई जिसे कथित तौर पर उसकी दादी द्वारा अपने माता-पिता, अर्थात्, अफजालुद्दीन हसन और लियाकातुन्निसा बेगम के पक्ष में संपत्ति को उनके जीवनकाल के लिए वसीयत निष्पादित किया जाना था और शेष अभियुक्त क्रमांक 1 के पक्ष में था। उक्त वसीयत निज़ामात जंग के एक गैर-न्यायिक स्टाम्प

पेपर पर बनाई गई है और कथित तौर पर दिनांक 02.04.1950 पर निष्पादित की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, अभियुक्त क्रमांक 1, उसके भाई ने एक और जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज़ बनाया था जिसे पुष्टिकरण विलेख (हिबा बिल मुशा) दिनांकित 08.03.1990 के रूप में अभियुक्त क्रमांक 1 को मौखिक दान की पुष्टि करते हुए और भौतिक कब्जे को सौंपने की रिकॉर्डिंग भी की थी। उसका मामला यह है कि इन मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर, अभियुक्त क्रमांक 1 ने खुद को संपत्ति का पूर्ण मालिक बताते हुए, अभियुक्त क्रमांक 4 (अपीलकर्ता यहाँ अपीलों में से एक में) के पक्ष में दिनांक 01.12.2008 पर एक पट्टा विलेख निष्पादित किया। शिकायतकर्ता का मामला यह है कि इसके बाद अभियुक्त क्रमांक 4 ने अभियुक्त क्रमांक 5-एच. पी. सी. एल. के पक्ष में एक उप-पट्टा निष्पादित किया, जिसका प्रतिनिधित्व अभियुक्त क्रमांक 6 और 9 दो महीने की अवधि के भीतर यानी दिनांक 30.01.2009 पर किया आैर उसके अभियुक्त क्रमांक 7 और 8 प्रमाणक साक्षी हैं। यह शिकायतकर्ता का संपूर्ण मामला है।

19. प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा दायर शिकायत 26 पृष्ठो और 26 अनुच्छेद में है। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, कि शिकायतकर्ता, उसकी बहनों और उसके भाई, अभियुक्त क्रमांक 1 के बीच विरासत के आधार पर एक विवादित संपत्ति के दावे का खुलासा करता है। शिकायत के अवलोकन से आगे पता चलता कि शिकायतकर्ता संपत्ति के क्षेत्र के संबंध में भी विवाद करता है, जिसमें शिकायतकर्ता के माता-पिता पर इसके हस्तांतरण का तरीका और उसके भाई-बहनों के साथ उसके प्रतिस्पर्धी हित शामिल हैं। शिकायत में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि वर्तमान अपीलार्थी, अर्थात अभियुक्त संख्या 4 को पूरी तरह से पता था कि अभियुक्त क्रमांक 1 विरासत से एकमात्र लाभार्थी नहीं था और संपत्ति शिकायतकर्ता और उसकी बहनों को हस्तांतरित कर दी गई थी। इसके अलावा यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि यह जानते हुए उसने अभियुक्त क्रमांक 1, के साथ एक झूठी और मनगढ़ंत वसीयत बनाकर सामूहिक रूप से पट्टा समझौता किया है। हालाँकि, साजिश के संबंध में एक उल्लेख है, लेकिन इस तरह की साजिश के तरीके के संबंध में कोई सुझाव भी नहीं है।

20. शिकायत पर गौर करने पर ही यह पता चलता कि शिकायतकर्ता के पिता और अभियुक्त क्रमांक 3 ने खुद शिकायत दर्ज कराई थी। विकास समझौता जो बाद में उनके जीवनकाल के दौरान रद्द कर दिया गया। इससे यह भी पता चलता कि विचाराधीन पट्टे के बाद ही अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित, शिकायतकर्ता ने ये सभी तथ्य उठाए हैं। हमारा विचार है कि उठाए गए तथ्य कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विरासत के संबंध में एक नागरिक विवाद को दर्शाते हैं। हम यह समझने में विफल हैं कि वसीयत और पुष्टि विलेख के तहत विरासत के संबंध में विवाद का फैसला आपराधिक कार्यवाही में कैसे किया जा सकता है। हम यह पाते हैं कि ऐसा केवल एक उपयुक्त दीवानी कार्यवाही में ही किया जा सकता है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता सहित विभिन्न पक्षों द्वारा इस संबंध में दीवानी कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है। ये कार्यवाहियाँ इस प्रकार हैं:

(i) माननीय 11वें एसीजे की फाइल पर 2004 का ओ. एस. संख्या 239, सीसीसी, हैदराबाद।

(ii) माननीय 11 एसीजे की फाइल पर 2002 का ओ. एस. सं. 337, सीसीसी, हैदराबाद।

(iii) माननीय एकादश एसीजे की फाइल पर 2001 का ओ. एस. सं. 58, सीसीसी, हैदराबाद।

(iv) माननीय 11वें एसीजे की फाइल पर 2000 का ओ. एस. सं. 277, सीसीसी, हैदराबाद।

(v) माननीय 11वें एसीजे की फाइल पर 2001 की ओ. एस. सं. 506, सीसीसी, हैदराबाद।

(vi) 2010 की रिट याचिका (सी) संख्या 685।

21. यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि हालाँकि शिकायत में शिकायतकर्ता ने ओ. एस. संख्या 1989 की 1996 अभियुक्त क्रमांक 3 के विरूद्ध लंबित होने का उल्लेख किया था और ओ.एस.नंबर 1403 का 1999 मैसर्स बंजारा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ लिमिटेड, अन्य कार्यवाहियों के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है। अभियुक्त क्रमांक 4 को ओ. एस. सं. 506 का 2001 में केवल दिनाक 30.10.2009 को एक पक्षकार-प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है।

22. शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में ही उसके भाई अभियुक्त क्रमांक 1 और उसकी तीन बहनों के खिलाफ विभाजन और पृथक आधिपत्य के संबंध में ओ. एस. नं. 239 का 2004 दायर किया जा चुका है, जो लंबित बताया गया है। इस प्रकार, उक्त शिकायत में कथित रूप से कूटरिचत दस्तावेजों का विचार उक्त वाद में किया जाएगा। आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ दीवानी कार्यवाही में विरोधाभासी निष्कर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने रिट याचिका संख्या 23017/2009 दायर की थी और विचाराधीन भूखंड पर निर्माण को रोकने के लिए 23672/2009 को दिनांक 28.10.2009 को खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, शिकायत में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इस न्यायालय ने सरदूल सिंह बनाम नसीब कौर 2 मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:

(1987) सपली एस.सी.सी. 146

" 2. पक्षों के बीच एक दीवानी मुकदमा लंबित है जिसमें प्रत्यर्थी का तर्क है कि कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी जबकि अपीलार्थियों का तर्क है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत निष्पादित की गई है। रामपुर के विद्वान जिला न्यायाधीश की अदालत में प्रोबेट देने का मामला भी लंबित है। इसलिए दीवानी अदालत वसीयत की वैधता के संबंध में सवाल पर विचार कर रही है। यह मामला सिविल अदालतों में उपरोक्त दो मामलों में विचाराधीन है। इस समय प्रत्यर्थी को संस्थान स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक आपराधिक अभियोजन इस आरोप पर कि वसीयत जाली है। उस प्रश्न का निर्णय दीवानी अदालत द्वारा साक्षय दर्ज करने और कानून के अनुसार पक्षों को सुनने के बाद करना होगा। वसीयत की वैधता होने पर प्रतिवादी को इस आरोप पर अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। दीवानी अदालत के समक्ष परीक्षण किया जा रहा है। इसलिए हम अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के न्यायालय में श्रीमती नसीब कौर बनाम सरदूल सिंह के मामले में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हैं। यह भविष्य में उचित कार्यवाही शुरू करने के रास्ते में नहीं आएगा

यदि दीवानी अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वसीयत जाली है। हम निश्चित रूप से वसीयत की वास्तविकता या अन्यथा के संबंध में कोई भी राय व्यक्त करने से बचते हैं।

सवाल क्योंकि ऐसा करने का कोई अवसर नहीं है और सवाल व्यापक है

यह प्रश्न निचली अदालतों के सामने विचारणीय हैं।

23. यह आगे ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता और उसकी बहनों ने बिक्री-सह-अपरिवर्तनीय विशिष्ट शक्ति मुख्तयारनामे के रूप में एक समझौते को एक मोहम्मद खालिद शरीफ के पक्ष में दिनांक 20.03.2015 निष्पादित किया है आैर पेट्रोल पंप की स्थापना और एन. ओ. सी. आदि के अनुदान के संबंध में विभिन्न मुकदमे भी दायर किए गए हैं। शिकायत दिनांक 24.11.2010 पर Cr.P.C की धारा 156 (3) के तहत पर् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना और जांच करने हेतु पुलिस को भेजी गई थी। दिनांक 30.08.2017 की अपनी अंतिम रिपोर्ट में, पुलिस ने राय दी है कि जाँच के दौरान कोई साजिश दिखाने के लिए कोई सामग्री सामने नहीं आई थी।

24. पैराग्राफ 8 में स्वयं विद्वान न्यायाधीश, यह अभिमत दिया है कि विचाराधीन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर जाली हैं या किसी ने धोखाधड़ी के उद्देश्य से प्रतिरूपण किया है, एैसा कोई मामला नहीं है।

" 8 ..... इस संबंध में संक्षेप में आरोप यह है कि अभियुक्त क्रमांक 1 संपत्तियों का पूर्ण मालिक नहीं है, बल्कि वास्तविक शिकायतकर्ता और उनकी अन्य बहनों के साथ सह-मालिक या सह-भागीदार में से एक है और उसने धोखा देने के उद्देश्य से असली जाली और मनगढ़ंत तथाकथित वसीयत और तथाकथित पुष्टि विलेख के दस्तावेज पेश किया है जैसे कि वह मालिक है। झूठा दावा किया तथाकथित वसीयत वर्ष 1950 की है और पुष्टि का तथाकथित विलेख वर्ष 1989-1990 का है और इससे पहले कथित मौखिक उपहार है। यह 1966 की बात है।

25. उपरोक्त बातों को देखने के बाद हम समझ नहीं पाते कि कैसे एक विद्वान न्यायाधीश अभियुक्त क्रमांक 4 के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर सकते थे, इतना ही नहीं बल्कि उक्त टिप्पणियों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने स्वयं देखा है कि पुलिस अधिकारियों को जांच के उद्देश्य से अभियुक्त को गिरफ्तार करने की अनुमति देना न्याय के हित में नहीं होगा। हम सुविचारित दृष्टिकोण के हैं कि विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि सभी आरोप जालसाजी के संबंध में हैं और निर्माण और अभियुक्त क्रमांक 1 के आधार पर पटटा विलेख निष्पादित करना उक्त जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज केवल अभियुक्त क्रमांक 1 के खिलाफ थे को कार्यवाही रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था अभियुक्त क्रमांक 4 भी हम पाते हैं कि विद्वान न्यायाधीश को ऐसा करना चाहिए। वर्तमान अभियुक्त क्रमांक 4 पर वही पैरामीटर लागू किए गए जो थे अन्य अभियुक्तों पर लागू किया गया जिनके आवेदन स्वीकार कर लिए गए थे।

26. जहां तक मूल शिकायतकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुज्ञा याचिकाओं से उत्पन्न आपराधिक अपीलों का संबंध है, हमने पूरी तरह से अपीलों में कोई योग्यता नहीं पायी है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही पाया है कि अभियुक्त क्रमांक 5-एच. पी. सी. एल. और उसके अधिकारियों अभियुक्त क्रमांक

6 और 9 के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं थी आैर अभियुक्त क्रमांक 7 और 8, केवल इसलिए शामिल किया गया है, क्योंकि वे प्रमाणक गवाह थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने Cr.P.C की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का सही उपयोग किया है।

27. जहाँ तक मूल अभियुक्त क्रमांक 4 का संबंध है, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उसका मामला भजन लाल (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा बनाई गई श्रेणियों (1) और (3) द्वारा कवर किया गया है। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, भले ही शिकायत में लगाए गए आरोपों को अंकित मूल्य पर लिया गया हो, लेकिन अभियुक्त क्रमांक 4 के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं है। हमारा विचार है कि अपराध की निरंतरता अभियुक्त क्रमांक 4, एम. श्रीकांत के खिलाफ कार्यवाही कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगी। इस प्रकार, उनकी अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

28. परिणामस्वरूप, एस. एल. पी. 9156/2017 से उत्पन्न आपराधिक अपील (सीआरएल।) जो अभियुक्त क्रमांक 4 द्वारा प्रस्तुत की गई है, स्वीकार की जाती है।

आपराधिक मामला पुलिस थाना केन्द्रीय अपराध स्टेशन, हैदराबाद के अपराध क्रमांक क्रमांक 311/2010 में एक अभियुक्त क्रमांक 4 के विरुद्ध मामला रद्द कर दिया जाता है। एस. एल. पी. से उत्पन्न आपराधिक अपीलें। सीआरएल नं. 9160-61 / 2017 मूल शिकायतकर्ता द्वारा दायर

याचिका खारिज कर दी जाती है।

अपील निस्तारित